

## **MINORITY AND GUARDIANSHIP**

### **1. *Who is a guardian of a Hindu Minor?***

**Ans. GUARDIAN:**

Guardian means a person having the care of person of a minor or of his property or of both his person and property, and includes:-

- (i) a natural guardian,
- (ii) a guardian appointed by the will of the minor's father or mother,
- (iii) a guardian appointed or declared by a Court, and
- (iv) a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any Court of wards;

### **NATURAL GUARDIANS:**

The natural guardian of a Hindu minor, in respect of the minor's person as well as in respect of the minor's property (excluding his or her undivided interest in joint family property), are –

- a) in the case of a boy or an unmarried girl – the father, and after him, the mother, provided that the custody of a minor who has not completed the age of five years shall ordinarily be with the mother;
- b) in case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl – the mother, and after her, the father;
- c) in the case of a married girl – the husband;

## नाबालिग का संरक्षण

**प्रश्न** हिन्दू अल्पवयस्क का संरक्षक कौन है?

**उत्तर** संरक्षक:

संरक्षक का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अल्पवयस्क की या उसकी सम्पत्ति की या दोनों की देख-रेख करे तथा इसमें शामिल है:-

- (i) प्राकृतिक संरक्षक
- (ii) माता या पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त अल्पवयस्क का संरक्षक।
- (iii) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया संरक्षक।
- (iv) ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, या किसी संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है।

**प्राकृतिक संरक्षक:**

हिन्दू अल्पवयस्क या उसकी सम्पत्ति के सन्दर्भ में प्राकृतिक संरक्षक (अविभाजित पारिवारिक सम्पत्ति में हित के अतिरिक्त) यह है:-

- अ. पुत्र या अविवाहित पुत्री के- सन्दर्भ में पिता और उसके बाद माता, परन्तु यदि नाबालिग ने पांच साल तक की उम्र पूरी न की है तो साधारणतया उसकी अभिरक्षा (देख-रेख) का हक माता को होगा।
- ब. नाजायज पुत्र या नाजायज अविवाहित पुत्री के सन्दर्भ में माता और उसके बाद पिता।
- स. विवाहित पुत्री लड़की के संदर्भ में उसका पति।

**2     *What are the powers of natural guardians?***

**Ans.** The natural guardian of a Hindu minor has power, to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection or benefit of the minor's estate. However, the natural guardian cannot without the previous permission of the Court, alienate or create a charge on the immovable property of the minor.

**3.     *Procedure for appointment of a Court Guardian?***

**Ans.** Any person desirous of being the guardian of the minor or claiming to be the guardian of the minor can file an application to the District Court having jurisdiction for being appointed as guardian. Where the Court is satisfied that it is for the welfare of a minor that an order should be made appointing a person as a guardian of his person or property or both, or declaring a person to be such a guardian, Court may make an order accordingly.

**4.     *What are the powers of guardians qua disposal of immovable property of a minor?***

**Ans.** The Guardian shall not without the previous permission of the Court:

- a) mortgage or charge, or transfer by sale, gift, exchange or otherwise, any part of the immovable property of the minor; or
- b) lease any part of such property for a term exceeding five years or for a term extending more than one year beyond the date on which the minor will attain majority.

**प्रश्न प्राकृतिक संरक्षक की क्या शक्तियाँ हैं?**

उत्तर हिन्दू अल्पवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक नाबालिग के हित में वह सभी काम कर सकता है जो आवश्यक हैं या उचित हैं और जो नाबालिग की सम्पत्ति की वसूली, सुरक्षा या लाभ के लिए उपयुक्त और उचित हैं। प्राकृतिक संरक्षक को अल्पवयस्क की अचल सम्पत्ति को बिना न्यायालय की अनुमति के बेचने का, रहन रखने का कोई अधिकार ना है।

**प्रश्न न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया?**

उत्तर कोई भी व्यक्ति जो अल्पवयस्क का संरक्षक बनने का इच्छुक हो या अल्पवयस्क का संरक्षक होने का दावा करता हो उस जिला न्यायालय, जिसे संरक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश करेगा यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा आदेश करना अल्पवयस्क के हित में है, तो वह ऐसे आदेश पारित करके अल्पवयस्क का संरक्षक या उसकी सम्पत्ति या दोनों का संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

**प्रश्न संरक्षक को नाबालिग की अचल सम्पत्ति को किसी भी रूप में बेचने का (डिस्पोज ऑफ) करने की क्या शक्ति है?**

उत्तर संरक्षक बिना किसी न्यायालय की अनुमति के:—

- (अ) अल्पवयस्क की किसी भी अचल सम्पत्ति को रहन, दान, बैय, उपहार या तबादला आदि नहीं कर सकता।
- (ब) अचल सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को पट्टे पर पाँच साल से अधिक या अल्पवयस्क के वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष बाद तक से अधिक नहीं दे सकता।

**5. *What are the various provisions for obtaining custody of a minor?***

**Ans.** The custody of a minor can be obtained under Section 25 Guardians and Wards Act, Section 26 Hindu Marriage Act and Section 21 Protection of Women from Domestic Violence Act.

**6. *Whether a guardian, who is acting against the interest of the minor, can be removed?***

**Ans.** Yes, a guardian who is acting against the interest of the minor can be removed by filing an application to that effect before the District Court having jurisdiction.

**प्रश्न अवयस्क की अभिरक्षा प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?**

उत्तर अवयस्क की अभिरक्षा के विभिन्न तरीके— धारा 25 संरक्षक अधिनियम, धारा 26, हिन्दु विवाह अधिनियम और धारा 21 महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हैं।

**प्रश्न क्या संरक्षक, जो अवयस्क के हित के खिलाफ कार्य करे, को हटाया जा सकता है?**

उत्तर हाँ, संरक्षक जो अल्पवयस्क के हित में कार्य न करे, उसे हटाया जा सकता है, इसके लिए इससे संबंधित एक प्रार्थना पत्र जिला न्यायालय, जिसका अधिकार क्षेत्र में हो, वहाँ देना होगा।